

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार संख्या 12436

में

2018 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 593

=====

बिहार राज्य पथ परिवर्तन निगम कर्मचारी संगठन परमानन्द निकेतन, स्वर्गीय सुरेश मिश्र के पुत्र, एनी
बेसेंट रोड, थाना - पीरबहोर, जिला- पटना

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार।
3. बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम, अपने प्रबंध निदेशक, सुल्तान पैलेस, बीरचंद के माध्यम से।
4. प्रशासक, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम, सुल्तान पैलेस, बीरचंद पटेल पथ, पटना
5. श्रम आयुक्त, बिहार।

... प्रत्यर्थी/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री सिद्धार्थ प्रसाद, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री पी. के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
निगम के लिए	:	डॉ. आनंद कुमार, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री नमन नायक, एएजी-13 के एसी

=====

उत्तरदाता - निगम गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है जो दिनांक 11.07.1988 के समझौते के अनुसार शेष कर्मचारियों को नियमित करने की स्थिति में नहीं है। (पैरा-31) वर्ष 1988 में अपीलार्थी-संघ और 'निगम' के बीच एक समझौता हुआ था और फिर वर्ष 1990 में-संघ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उपचार का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया, जैसा कि इस अदालत ने सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या में कारण बताओ,एल.पी.ओ. को रद्द कर दिया । (कंडिका -31, 39, 40)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

न्यायालय: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)

दिनांक: 05-10-2023

पक्षों को सुना गया।

2. वर्तमान अपील को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी संगठन (अब से संक्षिप्त में 'संघ') ने अपने महासचिव के माध्यम से माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 12436/2017 में पारित दिनांक 02.04.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा रिट आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत पर पहले ही सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 12926/2009 में विचार किया जा चुका है और उसे खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता-संघ के सदस्यों को निगम की निराशाजनक वित्तीय स्थिति को देखते हुए निरंतरता का कोई अधिकार नहीं है।

3. अपीलार्थी-संघ बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम (अब से संक्षिप्त में 'निगम') में लगे अस्थायी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

4. अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्णित मामला यह है/हैं कि:

5. 1985 से पहले निगम में अस्थायी आधार पर कुल मिलाकर 925 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। उनमें से 425 को वर्ष 1988 में हुए समझौते के बाद पहले चरण में नियमित किया गया था, लेकिन शेष 500 सदस्य जिन्हें दूसरे चरण में लिया जाना था, उन पर 'निगम' द्वारा विचार नहीं किया गया था।

6. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुकदमे का पहला दौर वर्ष 1985 में शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता-संघ ने अपनी सेवाओं को नियमित करने के अनुरोध के साथ 1985 का सी. डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3460 वाला रिट आवेदन में उनकी सेवाओं को नियमित करने हेतु प्रार्थना कि गई थी। उक्त रिट याचिका आदेश दिनांकित 02.09.1985 द्वारा रद्द किया गया था।

7. बर्खास्तगी के उक्त आदेश के खिलाफ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 1509/1987 प्रस्तुत किया गया था। इसका निपटारा 16.12.1987 को तीन निर्देशों के साथ किया गया:

क) एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए उचित योजना तैयार करना;

ख) निगम के संबंधित संवर्गों में नियमित रूप से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाए।

ग) आदेश के अनुसार देय सभी बकाया राशि का भुगतान करना।

8. उक्त आदेश के उपरान्त, एक समीक्षा याचिका (सी) संख्या 381/1988 प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई। हालांकि, प्रतिवादी अधिकारियों ने भी याचिकाकर्ता-संघ के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कदम उठाए और अंततः 11.07.1988 को एक सहमति/समझौता किया जिसके तहत पहले चरण में 425 अनियमित मजदूरों को नियमित करने पर सहमति बनी।

9. पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार आवेदन पर हस्तक्षेप करने/विचार करने से इनकार कर दिया और 30.10.1990 को इसका निपटारा कर दिया।

10. हालाँकि, चूंकि प्रतिवादी आगे कार्रवाई करने में विफल रहे, एक पत्र संघ द्वारा तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय को भेजा गया था। इसे 1993 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 973 के रूप में पंजीकृत किया गया था,

जिसका निपटारा दिनांक 21.02.1994 के एक आदेश के माध्यम से किया गया था, जिसमें प्रतिवादीओं को चार महीने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा दिनांकित 21.02.1994 के आदेश के खिलाफ दी गई एसएलपी को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

11. हालाँकि, चूंकि कोई नियमितीकरण प्रक्रिया नहीं हुई और 'निगम' ने दिनांक 02.09.2009 के एक आदेश के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए 10.09.2009 के प्रभाव से अस्थायी श्रमिकों को हटाने का फैसला किया। याचिकाकर्ता-संघ का दावा है कि तब तक 'निगम' द्वारा रुक-रुक कर काम लिया जा रहा था और उन्हें किसी भी समय स्थायी रूप से हटाया नहीं गया था।

12. उक्त आदेश दिनांकित 02.09.2009 से व्यथित होकर, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 12926/2019 को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसका निष्पादन दिनांकित 06.10.2009 के आदेश द्वारा इस अवलोकन/निर्देश के साथ किया गया कि किया गया कि निगम इस पहलू को देखेगा कि कोई कानूनी आदेश का उल्लंघन तो नहीं हुआ है और यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से कम भुगतान किया गया है, तो वह अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है और निगम उस पर विचार करने के लिए बाध्य होगा। निष्कासन के विरुद्ध रिट न्यायालय द्वारा दी गई अन्य अवलोकन यह था कि कर्मचारियों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कदम उठाना खुला होगा।

13. सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 12926/2009 में पारित दिनांक 06.10.2009 के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-संघ ने एल.पी.ए. संख्या 1412/2009 दायर की, जिसे भी दिनांक 08.04.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

14. एलपी.ए. संख्या 1412/2009 में पारित दिनांक 08.04.2010 के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी-संघ ने एसएलपी (सिविल) संख्या 22998/2010 प्रस्तुत की। इसका निपटारा 16.02.2015/16.03.2015 को इस टिप्पणी के साथ किया गया कि अपीलार्थी अपने दावों के निपटान के लिए श्रम आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।

15. यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि इसके बाद अपीलकर्ता-संघ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 481/2016 दायर की, क्योंकि प्रतिवादी एसएलपी (सिविल) संख्या 22998/2010 में पारित दिनांक 16.02.2015/16.03.2015 के आदेश के अनुपालन की दिशा में कदम नहीं उठा रहे थे।

16. अवमानना याचिका के लंबित रहने के दौरान, श्रम आयुक्त, बिहार पटना ने 23.09.2016 को एक विवादित आदेश पारित किया, जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम के 25 एन (ए) के तहत अपीलकर्ता-यूनियन के सदस्यों को छंटनी करने का निर्देश दिया गया, निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ:

(i) बकाया भुगतान बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार किया जाएगा;

(ii) ग्रेच्युटी राशि का भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार किया जाएगा।

17. इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रम आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 23.09.2016 के उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए दिनांक 17.07.2017 के आदेश द्वारा अवमानना आवेदन को बंद करने का निर्देश दिया गया, साथ ही आगे यह भी कहा गया:

याचिकाकर्ता के लिए कानून के अनुसार श्रम आयुक्त द्वारा

पारित आदेश को चुनौती देने का अधिकार होगा।

18. इसके बाद अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की:

i) श्रम आयुक्त, बिहार (प्रतिवादी संख्या - 5) द्वारा पारित ज्ञापन सं. - 3/D - 39/2015-310 दिनांकित 23.09.2016 को रद्द करने हेतु उत्प्रेषण लेख कि प्रकृति का रिट जारी करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 22998/2010 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के साथ सपठित आदेश को मनमाने तरीके से गलत तरीके से परिभाषित/गलत व्याख्या कर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एन (ए) को लागू करके उन्हें छंटनी करने का निर्देश को रद्द करने और बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर देय राशि का भुगतान करने की प्रार्थना की

ii) प्रतिवादी सं. 5 द्वारा पारित दिनांकित 23-09-2016 के आदेश के परिणामस्वरूप 'निगम' द्वारा जारी समाचार पत्र प्रकाशन को रद्द करने के लिए रिट जारी करना।

iii) प्रतिवादियों, विशेषकर प्रतिवादी संख्या 5 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति (सी) संख्या 22998/2010 तथा वर्ष 1988 और 1990 में किए गए पूर्व समझौते द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक और रिट जारी करने के लिए।

iv) प्रतिवादी सं. 5 को परमादेश की प्रकृति का रिट जारी करने के लिए, ये निर्देश देते हुए कि वे 1988 और 1990 के समझौते पर विचार करें और यदि "निगम" एकमुश्त निपटान का प्रस्ताव कर रहा है, तो दीर्घकालिक सेवा को भी ध्यान में रखा जाए और उचित और वाजिब मुआवजा देकर निपटान किया जाए ताकि वे अपनी आजीविका बनाए रख सकें

19. इस मामले को रिट अदालत द्वारा 02.04.2018 को लिया गया था और मामले के तथ्यों को देखने के बाद, माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। आदेश के प्रासंगिक पैराग्राफ को शामिल करना आवश्यक है जो इस प्रकार है:

"मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

मेरी राय में, कई मुद्दों को उठाने वाली रिट याचिका पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों पर इस न्यायालय द्वारा 2009 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 12926 में पहले ही विचार किया जा चुका था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को निरंतरता का कोई अधिकार नहीं है, खासकर निगम की गंभीर वित्तीय स्थिति में।

इस न्यायालय ने अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उपचार लेना खुला रहेगा, यदि वे इस संबंध में सलाह प्राप्त करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील में भी याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई थी और इस न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दावे के निपटारे के लिए श्रम आयुक्त से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी, श्रम आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने के बाद, जब याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा उठाया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील में कोई योग्यता नहीं पाई कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया गया। हालाँकि, अवमानना याचिका को बंद करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता श्रम आयुक्त द्वारा पारित आदेश को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही में चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार, रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए श्रम आयुक्त के आदेश के अलावा मुद्दे पहले ही अंतिम रूप ले चुके हैं। जहाँ तक श्रम आयुक्त के आदेश की वैधता को चुनौती देने का संबंध है, याचिकाकर्ता के पास औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रभावी वैधानिक उपाय है जिसे श्रमिकों और नियोक्ता के बीच औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि उच्च न्यायालय आम तौर पर धारा 226 के तहत एक याचिका पर विचार नहीं करेगा यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध है। वैकल्पिक प्रभावी उपचार की उपलब्धता के बावजूद मुझे रिट याचिका पर स्वीकार करने में सक्षम बनाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है।

तदनुसार, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है कि याचिकाकर्ता श्रम आयुक्त द्वारा पारित आदेश को कानून के अनुसार उचित मंच के समक्ष चुनौती दे सकते हैं।

20. व्यथित, वर्तमान अपील।

21. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना।

22. अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने 11.07.1988 को समझौता कर लिया था, जब 15.08.1988 को प्रथम चरण में 925 में से 425 अस्थायी संवाहक और 162

अस्थायी सहायकों को नियमित कर दिया गया था; इसलिए उन्हें अपने समझौते से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

23. आगे दलील यह है कि 08.08.1990 को यूनियन और निगम के बीच एक और समझौता हुआ था, जिसमें अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में कहा गया था, जब तक कि सूची समाप्त नहीं हो जाती।

24. हालाँकि, जब वे अपने शब्दों से पीछे हट गए, तो 2009 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 12926 दायर किया गया था जिसे निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 06.10.2009 (रिट याचिका के अनुलग्नक-6) पर खारिज कर दिया गया था:

"याचिकाकर्ता संघ की अंतिम शिकायत यह है कि उनके सदस्यों की सेवा अब समाप्त कर दी गई है। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्य निगम के स्थायी या नियमित कर्मचारी नहीं हैं। वे अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी हैं। निगम की गंभीर वित्तीय स्थिति में उन्हें निरंतरता का कोई अधिकार नहीं है। यदि उन्हें सलाह दी जाती है तो यह उनके लिए खुला है कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत ऐसे उपचारात्मक उपाय करें जो उनके लिए उपलब्ध हों।

इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"

25. एलपीए संख्या 1412/2009 को 08.04.2010 को खारिज कर दिया गया था और एसएलपी (सी) संख्या 22998/2010 के तहत दायर एसएलपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16.02.2015 को इन मुद्दों को श्रम आयुक्त द्वारा निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिए थे। इसे दिनांकित 16.03.2015 के आदेश के माध्यम से आगे स्पष्ट किया गया था जो इस प्रकार है:

16 फरवरी, 2015 के आदेश को ध्यान में रखते हुए ये कार्यवाही इस स्पष्टीकरण के साथ समाप्त हो जाती है कि याचिकाकर्ता दावे के निपटारे के लिए श्रम आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।

विशेष अनुमति याचिका निपटाई जाती है।"

26. अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि श्रम आयुक्त ने 23.09.2016 के अपने आदेश में मामले में पहले हुए समझौते की पूरी तरह से अनदेखी की। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादियों को कुछ अस्थायी श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने और अन्य को नजरअंदाज करने में चुनिंदा चयन की प्रक्रिया प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

27. इसके अलावा, माननीय एकल न्यायाधीश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रम आयुक्त को दावे के निपटान के लिए मामले पर विचार करने के टिप्पणी को ध्यान में नहीं रखा।

28. आपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा अगली प्रस्तुति यह है कि अधिकांश सदस्य 50 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं और इस प्रकार उन्हें अन्य नौकरियों में नहीं लगाया जा सकता है, उन्हें एकमुश्त राशि का भुगतान किया गया है और इस प्रकार उनके भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। यहाँ हम यह ध्यान देने से नहीं चूक सकते कि दावे 1985 में उठे थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने योजना बनाने का निर्देश वर्ष 1987 में दिया था। हम जारी किए गए निर्देशों की तारीख से लगभग 36 वर्ष और उस तारीख से 38 वर्ष हैं जिस दिन वर्ष 1985 में दावे सामने आए थे। वर्ष 1985 में 25 वर्ष की आयु भी अब 60 वर्ष की आयु को पार कर चुकी होगी। एक भी व्यथित व्यक्ति नहीं है जिसे रिट याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आपीलार्थी के महासचिव की आयु अब 66 वर्ष है। वर्ष 2016 में जब विवादित आदेश पारित किया गया था, तब सभी की आयु 50 वर्ष को पार कर चुकी होगी।

29. हमने आपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना है और मामले के अभिलेखों का भी अध्ययन किया है। हालाँकि वास्तव में वर्ष 1988 में और फिर वर्ष 1990 में अपीलकर्ता-संघ और 'निगम' के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन तथ्य यह है कि एक बार 'निगम' ने अपने पत्र दिनांकित 02.09.2009 के माध्यम से

अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण अस्थायी श्रमिकों से प्रभावी रूप से 10.09.2009 से काम लेना बंद कर दिया, अपीलकर्ता-संघ ने 2009 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 12926 में पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे इस टिप्पणी के साथ 06.10.2009 को खारिज कर दिया गया कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उपचारात्मक उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

30. अपीलकर्ता-संघ ने इसके बजाय एलपीए संख्या 1412/2009 के तहत अपील दायर करने का विकल्प चुना, जिसका निपटारा 08.04.2010 को किया गया। अपीलीय न्यायालय ने माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपीलार्थी-याचिकाकर्ता ने 2010 का एसएलपी (सी) सं. 22998 दाखिल किया। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16.02.2015 को लिया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 16.02.2015 के आदेश में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागेंद्र राय और बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम/प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री अपर्णा झा को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि इस अदालत के दिनांकित 16.12.1987 के पहले के आदेशों के आधार पर, निगम द्वारा अपने संघ के साथ 11.7.1988 को एक समझौता किया गया था, जिसमें 15.8.1988 द्वारा 425 अस्थायी संवाहक और 162 अस्थायी सहायकों और दूसरे चरण में बाकी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, यह कहा गया है कि जिन 587 कर्मचारियों को पहले चरण में 15.8.1988 द्वारा नियमित किया जाना था, उनमें से केवल 377 को ही नियमित किया जा सका, जिससे 210 अस्थायी कर्मचारी रह गए, जिनका प्रतिनिधित्व अब याचिकाकर्ता कर रहे हैं। खंड पीठ ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया, याचिकाकर्ता इस विशेष अनुमति याचिका के साथ आगे आए हैं। सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी-निगम के इस रुख को ध्यान में रखते हुए कि निगम गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और 11.7.1988 के समझौते द्वारा निपटान के दायरे में आने वाले शेष कर्मचारियों को नियमित करने की

स्थिति में नहीं है, हमने सुझाव दिया कि यह मुद्दा श्रम आयुक्त पर छोड़ दिया जा सकता है कि वे यह तय करें कि याचिकाकर्ताओं के सदस्य जिनके लिए 11.07.1988 के आधार पर राहत का दावा किया जाता है, वे समझौते के दायरे में आते हैं या नहीं और और ऐसी स्थिति में एकमुश्त समझौते के माध्यम से 1987 से पहले की गई उनकी लंबी सेवा को ध्यान में रखते हुए कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है।

निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील उपरोक्त सुझाव पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय चाहते हैं।

इस मामले को अगले सप्ताह वास्ते रखें। "

31. दिनांक 16.02.2015 के उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-निगम के इस रुख को ध्यान में रखा कि वह गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और दिनांकित 11.07.1988 के समझौते के अनुसार शेष कर्मचारियों को नियमित करने की स्थिति में नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, यह टिप्पणी की गई कि मामले को श्रम आयुक्त के पास भेजा जाना चाहिए ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि क्या ऐसे याचिकाकर्ताओं के मामले में, जो 11.07.1988 के समझौते का हिस्सा थे, एकमुश्त समझौता किया जा सकता है।

32. इस मामले को एक बार फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16.03.2015 पर लिया गया और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"16 फरवरी, 2015 के आदेश को ध्यान में रखते हुए ये कार्यवाही इस स्पष्टीकरण के साथ समाप्त हो जाती है कि याचिकाकर्ता दावे के निपटारे के लिए श्रम आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।

विशेष अनुमति से याचिका का निपटाई जाती है।"

33. इसके बाद जब प्रतिवादीगण मामले पर विचार करने लगे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 481/2016 प्रस्तुत की गई।

34. इसके बाद श्रम आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 23.09.2016 को आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा और जिसके तहत पूरे इतिहास का विवरण देने के बाद, इसने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

(i) निगम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एन (1) (ए) के संदर्भ में तीन महीने के नोटिस भुगतान करेगा।

(ii) यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में बकाया राशि का भी भुगतान करेगा और

(iii) यह ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के संदर्भ में ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करेगा।

35. इस प्रकार दिनांक 23-09-2016 का आदेश पारित करते समय श्रम आयुक्त ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 ए (ए) के तहत तीन महीने के भुगतान के लिए निर्देश देने के अलावा, उनके द्वारा काम किए गए देय राशि के भुगतान और ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत भुगतान के लिए उनकी पात्रता को भी स्वीकार किया।

36. इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई कि और दिनांक 17-07-2017 के एक आदेश के माध्यम से कहा कि **न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया था, वे कानून (याचिका का अनुलग्नक-11) के अनुसार उचित कार्यवाही में इसे चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार इसने अवमानना याचिका को बंद कर दिया।**

37. इसके बाद याचिकाकर्ता-संघ ने सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 12436/2017 को दायर की जिसे माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा 02.04.2018 पर एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसे अब वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है।

38. मामले के तथ्यों को देखने के बाद, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों को देखने के बाद, हम मानते हैं कि इस स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 'निगम' गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके नियमितीकरण के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था, श्रम आयुक्त के ज्ञापन संख्या 3/डी-39/2015-310 दिनांक 23.09.2016 में निहित

निर्णय को बरकरार रखने में माननीय एकल न्यायाधीश के रुख पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है।

39. अब इस मामले को बंद करने का समय आ गया है क्योंकि प्रतिवादी-निगम गंभीर संकट में है, इसलिए अपीलार्थी-संघ के सदस्यों को नियमितीकरण पर विचार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता यूनियन और उनके सदस्यों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उपायों का सहारा लेने का विकल्प नहीं चुना, जैसा कि इस न्यायालय ने 16.10.2009 को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 12926/2009 में किए गए समझौते को लागू करने के लिए निर्देशित किया था। एसएलपी (सी) संख्या 22998/2010 में दिनांक 16.02.2015 के आदेश के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रम आयुक्त को एकमुश्त समझौते पर विचार करने का निर्देश दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार निगम की विकट वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया; वास्तव में समझौते से उत्पन्न होने वाले नियमितीकरण के किसी भी अधिकार को नकार दिया।

40. 2017 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 12436 द्वारा पारित दिनांकित 02.04.2018 का तर्कपूर्ण आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

41. 2018 का एल. पी. ए. संख्या 593 खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रॉय, न्यायाधीश)

जगदीश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।